Nav Jyoti, Vol. 5, No. 11, July-December 2017 ISSN : 2249-7331

ग्रामीण महिला नेतृत्व व सशक्तीकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 आलोक कुमार कश्यप
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
एम0 बी0 एस0 पी0 जी0 कालेज, गंगापुर ,वाराणसी, उ0प्र0

सारांश

भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक समाजिक और आर्थिक स्थितियों में भिन्नता के कारण ग्रमीण विकास के लक्ष्य को शीध्र प्राप्त करना आसान नहीं है। जनसंख्या की बढ़ती दर ,गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण समाज को जकड़े हुए है। गांन्धीजी ने सच ही कहा था कि भारत गॉवों में बसा हैं। यदि भारत का विकास करना है तो गांवों तथा वंहा रहने वाले लोगों का विकास करना अति आवश्यक है। आज भी भारत उनके विचारों के अनुरूप न बन सका। यद्यपि सरकार द्वारा समय–समय पर ग्रामोद्धार के प्रयास किए जाते रहे हैं किन्तु उसका सम्पूर्ण लाभ गाँवों को नहीं मिल सका है और इसका सबसे अधिक खामियाजा ग्रामीण महिलाओं को भुगतना पड़ता है। विकास के अवसरों के अभाव में महिलायें घर की चहारदीवारी में अपना जीवन गुजारती है। उन्हें अपने अस्तित्व को पहचानने हेतु कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा परम्परागत मूल्यों की बाधाएँ भी उनके विकास में अवरोध बन जाती हैं। ऐसे मे भारतीय संविधान का 73वॉ संशोधन, जिसके अनुसार पंचायती राज इकाइयों और नगर निकायों के सभी पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिसके माध्यम से महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज करा रही है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था महिला विकास, महिला सशक्तीकरण एवं महिला नेतृत्व हेतु सरकार द्वारा उठाया गया प्रभावशाली कदम है। सन् 1988 में पी0के0 थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनमें से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया जाए। 1991 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने पर मंत्रिस्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर 16 सितम्बर 1991 को संविधान (73वाँ संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसम्बर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, के रूप में इसे अन्तिम रूप मिला। यह संशोधन देश के सत्तातंत्र में महिलाओं को शामिल करने का पहला वृहत स्तरीय प्रयास था। इस संशोधन के माध्यम से महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में निम्न रूपों में सहभागी हो सकती हैं। जैसे–महिला मतदाता के रूप में, राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में, प्रत्याशियों के रूप में, निर्वाचित सदस्य के रूप में, महिला मण्डल के सदस्य एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम करके। इस प्रकार पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

अतः 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है। जिससे ग्रामीण महिला नेतृत्व व सशक्तीकरण उभर कर सामने आने लगा। महिलाओं के सशक्तीकरण का तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति या सत्ता दिया जाना है। अर्थात् महिला को अधिक सुविधापूर्वक कार्य करने देने के लिए उनमें चेतना एवं उन क्षमताओं का विकास किया जाना ताकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा सकें। राष्ट्रप्रणेता **स्वामी विवेकानन्द** ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि **जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।**

पंचायती राज के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने समय–समय पर अपने अध्ययन एवं विचार प्रस्तुत किए हैं। जिसमें महिलाओं के कार्य उन पर पड़ने वाले दबाव, पूर्ण स्वतंत्रता या मिथ्या की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक कुमार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत

महिलाओं की सहभागिता संतोषजनक नहीं है। प्रकाश जैन (1993) में अपने एक लेख द्वारा महिला आरक्षण, उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण को समझाते हुए महिलाओं के दायित्व का विश्लेषण किया हैं स्नेहलता पांडा ने अपना अध्ययन उड़ीसा के पंचायतों की महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर किया है। अध्ययन में पाया कि आरक्षण के बावजूद पंचायतों में पुरुषों का ही वर्चस्व है। इससे स्पष्ट होता है ग्रामीण महिला सशक्तीकरण का अर्थ शहरी महिला सशक्तीकरण से पूर्णतया भिन्न है क्योंकि शहरी महिलाओं को वैचारिकी, सांस्कृतिक, सामाजिक स्वतंत्रता की छूट होती है जबकि ग्रामीण स्त्रियाँ जागरूकता के अभाव में इन तक नहीं पहुँच पाती हैं। यद्यपि भारतीय संविधान के अन्तर्गत सभी नारियों को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं किन्तु अशिक्षिा व जागरूकता की कमी, पुरुष मानसिकता तथा तथाकथित परम्परायें बाधाओं के रूप में उनके सामने खड़ी रहती हैं और ग्रामीण महिलाएँ इन प्रावधानों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पातीं। आरक्षित ग्रामीण महिलाओं के पदों का लाभ उनके परिवार के पुरुष वर्ग ही उठाते हैं। जिससे वे आज भी स्वावलम्बन से कोसों दूर हैं।

ग्रामीण एवं सामान्य जनता का महिला नेतृत्व के विषय में क्या विचार है। यह जानने के लिए वाराणसी के करौंदी ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। इस ग्राम के पचास परिवारों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। समस्त उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण लोगों की व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की गयीं।

उत्तरदाताओं में अधिकाधिक माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही पाये गये। परिवार में स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा मध्यम पायी गयीं। अधिकांश उत्तरदाताओं की मासिक आय रू0 5000 से 8000 के बीच में है जिनमें अधिकांशतः दैनिक मजदूरी से जुड़े है। मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी करते पाये गये। गाँव की प्रधान महिला है तथा सदस्यों में भी महिलाएँ चयनित हुई हैं जिनके नेतृत्व भूमिका एवं जागरूकता सम्बन्धी प्रश्नों पर ग्रामीणों की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही कि 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाएँ पंचायत के बारे में जानकारी रखती हैं जबकि 24 प्रतिशत ग्रामीण कहते हैं कि वे मात्र परिवार के दबाव से चुनाव लड़ती हैं। 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनकी सक्रियता सामान्य रहती है। 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इस पद व भूमिका को गांव के सम्पन्न लोग व उनका परिवार ही प्राप्त करता है। 73 प्रतिशत ग्रामीणों का कहना है कि महिला प्रधान समस्त विकास कार्यक्रमों को जानती ही नहीं है। 33 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस बात को स्वीकार किया है कि महिला प्रधान समस्त बैठकों या पंचायत में नहीं जाती बल्कि उनके परिवार के सदस्य ही अधिकांश बैठकों में जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाता है। 5 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त विचार से असहमत दिखाई दिए। 10 प्रतिशत उत्तरदाता इसका मुख्य कारण अशिक्षित होना मानते हैं। 94 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण विकास हेतु पंचायत की भूमिका को स्वीकारते हैं। समस्त उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। महिलाएं अपने कार्य व अधिकार के प्रति जागरूक होंगी वे स्वयं अपने पद व भूमिका के महत्व को समझ सकेंगी।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वे महिलायें जो चयनित होने के पश्चात् नेता की भूमिका में आती हैं उनके सामने परम्परा, अशिक्षा, जागरूकता जैसी बाधायें उभर कर आ जाती हैं। अतः उनकी सक्रियता कम या नहीं के समान हो जाती है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्वयन के स्तर पर कई समस्यायें उजागर हुई हैं जैसे– **शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं**–समुचित शिक्षा के अभाव के कारण महिलायें अपने कर्तव्य एवं अधिकारों को भलीभांति समझ नहीं पाती है। अतएव उनकी भूमिकाओं का निर्वाह उनके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं ऐसे में ग्राम विकास के कार्यों की योजना तैयार करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। **प्रशिक्षण का अभाव**–शिक्षा के अभाव के कारण उनके समक्ष प्रशिक्षण को प्राप्त करने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। **सामाजिक समस्याएं**–महिलाओं की सक्रिय सहभागिता न होने पीछे समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, पुराने रीति रिवाज तथा रूढ़िवादिता है जिसके कारण महिलायें विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं। **पुरुषवादी सोच**– बहुत सी महिलाएँ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप आगे आकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती जब तक उनके परिवार के बड़े उन्हें अनुमति नहीं देते। अतः नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत उनको पंचायतों में

तो उनको चयनित तो किया जा रहा है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं बल्कि पुरुष अपने पास रख रहा है। बहुत कम महिलाएँ ही मुखर होकर अपना विचार प्रस्तुत कर पाती हैं। **अन्य समस्याएं–** कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय समस्या की वजह से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है। अतः वे पंचायतों की बैठकों में समय पर नहीं पहुँच पाती हैं। कई गाँवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है। ऐसे में उच्च जाति की चयनित महिलाएँ निम्न जाति की चुनी प्रतिनिधि के अधीन या साथ में कार्य नहीं करना चाहती है।

महिलाओं को सदैव समाज की मुख्य धारा से अलग रखने का प्रयास किया गया है जब तक महिलायें जागरूक नहीं होंगी तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभायेंगी तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। समस्याओं के निराकरण एवं पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को प्रभावकारी बनाने हेतु निम्नलिखित **सूझावों** को प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. पंचायती राज में प्रतिनिधि को चुनने के लिए शिक्षा का मानदण्ड होना जरूरी है क्योकि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। अतः सरकार को प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाकर बालिका एवं महिलाओं को साक्षर करना चाहिए ताकि वे पंचायत सम्बन्धी कार्यों को आसानी से समझ सकें।
2. महिलाओं को विकास कार्यक्रमों की नीतियों से अवगत कराने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण देना आवश्यक हैं ताकि महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज एवं अपने अधिकारों एवं दायित्वों का ज्ञान हो सके। इस हेतु कर्नाटक में राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थकाओं द्वारा पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण तथा सरलीकरण कार्यक्रमों के जरिए अगुवाई की गयी है परन्तु सभी राज्यो को ततपरता दिखाने की आवश्यकता है।
3. पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरूक किया जाये। अनेक महिला संगठन तथा सरकारी अभिकरण महिलाओं को जागरूक बनाने तथा चुनावों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। विभिन्न संचार माध्यमों से भी जिले के दूरदराज इलाकों में पंचायत सम्बन्धी सूचनाओं को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय।
4. पंचायतों की कई महिला प्रतिनिधियों के साथ होने वाले अपराधों एवं हिंसा की घटनाओं का सामाजिक स्तर पर सामूहिक विरोध होना चाहिए तथा उनसे सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए।
5. परिवार के पालन पोषण हेतु कृषि कार्यों एवं मजदूरी में ग्रामीण महिलायें पुरुष के समान सहभागी होती हैं, इस कारण वे पंचायतों के कार्य में प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात् अधिक प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाती। यदि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता या मानदेय दें तो वे पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकती हैं।
6. जातिवाद की समस्या के साथ छुआछूत की भावना का प्रत्येक स्तर पर सख्ती के साथ अन्त होना चाहिए ताकि निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि भी पंचायती राज व्यवस्था में निर्भय होकर कार्य कर सकें।
7. महिला प्रतिनिधियों को परिवार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। परन्तु परिवार के सहयोग का यह मतल नहीं कि उन्हें पंचायतों की बैठकों में जाने से रोक दिया जाये और अपने खुद ही चला जाये। यदि परिवार व समाज का सहयोग सही मायने में बराबर मिलता रहे तो महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी और अधिक कारगर बनायी जा सकेगी।

निष्कर्ष

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के समस्त पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात् निष्कर्ष यह निकलता है कि देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना सम्भव नहीं है क्योंकि देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, अतः यह आवश्यक है कि देश की राजनीति में भी

महिलाओं की सशक्त एवं वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में कुछ महिला नेतृत्व उभरा हैं। अध्ययन से प्रप्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि अब धीरे–धीरे महिला जनप्रतिनिधि पंचायत के कार्यों की जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रही है। फिर भी यदि उक्त सूझावों को अमल में लाया गया तो निश्चित तौर पर यह आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक रूप में महिलायें पहले से अधिक शिक्षित और सशक्त हो जायेंगी और वे निर्णय लेने में प्रभावशाली भूमिका निभायेंगी, जिससे ग्राम, समाज व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1, 'हिन्दुस्तान' वाराणसी, बृहस्पतिवार, 20 दिसंबर 2012, पृ0 13
2. आहुजा राम, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जयपुर, पृ0 241– 243
3. महाजन घर्मवीर, महाजन कमलेश, भारती समाज मुद्दे एवं समस्याऐं, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2004, पृ0 134
4. स्मिथः दी सोसियोलोजी आफ रुरल लाइफ, हारपर & ब्रदर्स, न्यूयार्क, 1940, पृ0 9–10
5. रावत, हरिकृष्ण : समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जयपुर, 1998
6. सिंह, डॉ. अमिता : लिंग व समाज, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2015, पृ0 134
7.कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, ग्रामीण विकास मन्त्रालय नई दिल्ली, मार्च 2007, पृ.0 26
8. www.mediaforrights.org